

निर्देश न इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 200/2020 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि। (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि।) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस
सोमिन्द मार्ग, सेडी कालोनी, जयपुर ।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री नितेश कुमावत पुत्र श्री सोहन लाल कुमावत
2. श्री सोहन लाल कुमावत पुत्र श्री गणेश लाल कुमावत
3. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री सोहन लाल कुमावत
निवासीगण:-प्लॉट नम्बर 206, इमान नगर, हरिपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर
4. श्री मनोज कुमार कुमावत पुत्र श्री घेतन प्रकाश कुमावत
निवासी:-प्लॉट नम्बर 15, डेल्टा की डाणी, कौचरोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 14.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 20.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री सोहन लाल कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति गणपति नगर कोलोनी, बालाजी रोड, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 186.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 10.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्राथीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर




4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 20,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 28,24,274/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री सोहन लाल कुमावत के स्वामित्व की सम्पत्ति गणपति नगर कॉलोनी, बालाजी रोड, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 186.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


14/12/2020
(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर